भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
वित्तीय सेवाएं विभाग

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या 2064**

जिसका उत्तर 14 मार्च, 2022/23 फाल्गुन, 1943 (शक) को दिया गया

**प्रधान मंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) के अंतर्गत ऋण**

2064. श्री आर.के. सिंह पटेल:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बांदा और चित्रकूट जिलों सहित उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में प्रधान मंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) के अंतर्गत ऋणों के वितरण की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) जनवरी, 2021 तक योजना के अंतर्गत लाभार्थियों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या उत्तर प्रदेश के संबंध में इसके लिए कोई विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. भागवत कराड)

**(क)और (ख)** : सदस्य ऋणदात्री संस्थाओं (एमएलआई) द्वारा मुद्रा पोर्टल पर अपलोड़ किए गए आंकड़ों के अनुसार, दिनांक 29.01.2021 की स्थिति के अनुसार प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र, जिसमें सात जिले अर्थात बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, जालौन, झांसी, ललितपुर और महोबा शामिल हैं, में 2596.95 करोड़ रुपये की संवितरित राशि के साथ 4.20 लाख से अधिक ऋण प्रदान किए गए हैं।

**(ग)और (घ)**: सरकार पीएमएमवाई के अंतर्गत एमएलआई, अर्थात अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी), क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी), गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) और सूक्ष्म वित्त संस्थाओं (एमएफआई), द्वारा स्वीकृत की जाने वाली राशि के लिए वार्षिक लक्ष्य आवंटित करती है। वर्तमान वित्त वर्ष (एफ वाई) के लिए इस योजना के अंतर्गत एमएलआई के लिए 3.00 लाख करोड़ रुपये का लक्ष्य निर्धारित किया गया हैं। पीएमएमवाई के अंतर्गत सरकार द्वारा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार लक्ष्य आवंटित नहीं किए जाते हैं।

*****